

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क0-217 / 16
संस्थापित दि0 13 / 05 / 2016
फाईलिंग नं. 233504000892016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

-: विरुद्ध :-

अशोक पिता दीनदयाल सोलंकी, उम्र 30 वर्ष,
 जाति-भोयर, पेशा ड्रायवर, नि0ग्राम अंधारिया,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्त.

-: निर्णय :-

(आज दिनांक-06 / 01 / 2017 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-324 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 24 / 04 / 16 को रात्रि 8:30 बजे के करीब या उसके लगभग पवन सोलंकी के घर के सामने, ग्राम अंधारिया, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी आकाश पंवार को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- दिनांक 06 / 01 / 17 को फरियादी आकाश पंवार तथा अभियुक्त अशोक के मध्य राजीनामा होने से अभियुक्त को धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 में दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24 / 04 / 16 के रात्रि 08:30 बजे की बात है कि वह गांव में उसके दोस्तों के साथ घूम रहा था कि पवन सोलंकी के मकान के सामने अशोक सोलंकी मिला और पुरानी रंजिश को लेकर उसे माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा। उसने अशोक को गाली देने से मना किया तो अशोक ने पत्थर उठाकर फेंककर मारा जिससे उसकी दाहिनी आंख में चोट आकर खून निकला रहा है और उसे दाहिने कंधे पर चॉब दिया, घटना का बीच बचाव पवन सोलंकी, जगदीश सोलंकी ने किया, जाते जाते अशोक सोलंकी उसे बालने लगा, मादर चोद थाने में रिपोर्ट करने गया तो उसे जान से खतम कर देगा। घटना की बात उसने चाचा कैलाश पंवार को बताया।

04- प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 199 / 16 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि0 की धारा 294, 323, 324, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 30 / 04 / 16 को घटना का नक्शा मौका प्र0पी0-2 बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के

कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं० प्र० सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—**

“आपने दिनांक 24/04/16 को रात्रि 8:30 बजे के करीब या उसके लगभग पवन सोलंकी के घर के सामने, ग्राम अंधारिया, थाना आमला जिला बैतूल म० प्र० के अंतर्गत फरियादी आकाश पंवार को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :—

—: विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण

07— अभियोजन साक्षी आकाश पंवार (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह दोस्तों के साथ घुर रहा था तभी रास्ते में आरोपी अशोक मिला और पुरानी रंजिश से उसे पत्थर उठाकर मार दिया जिससे उसके दाहिनी आंख एवं गाल के पास चोट लगकर खून निकला है। घटना पवन एवं जगदीश ने देखा है। आरोपी ने उसे काटा नहीं था। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में किया था जो प्र० पी० 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका डॉक्टरी मुलाहिजा करवाई थी। पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा प्र० पी० 2 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर बयान लिये थे। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 24.04.16 आरोपी ने उसे दाहिने कंधे पर दांत से काट दिया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र० पी० 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र० पी० 3 का ए से ए भाग लेख करवाया था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है।

08— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 04 में यह स्वीकार किया है कि वह लामाझूमी में गिर गया था उसे गिरने से चोट आई है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट और पुलिस कथन देते समय आरोपी द्वारा दांत से काटने वाली बात नहीं बतायी यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र० पी० 1 एवं पुलिस कथन प्र० पी० 3 में दांत से काटने वाली बात लिखी हो इसका वह कोई कारण नहीं बता सकता है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका राजीनामा हो गया है और वह उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी आकाश पंवार को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा० दं० वि० की धारा 324 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

09— अभियोजन साक्षी जगदीश (अ.सा.2) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी आकाश पंवार को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी आकाश पंवार को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्त अशोक को भा०द०वि० की धारा-324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०